न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0नं0 :— 46/2024
निर्णय दिनांक :— 23.09.2024
बइजलास :— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. श्रीमती मनफूली देवी धर्मपत्नि श्री श्रीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू राजस्थान।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान।

प्रतिवादी

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :— श्री राजेन्द्र कुमार जैन वकील वादी
वाद घोषणा व दुरस्ती इन्द्राज स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :— 23.09.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 26 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 28/1, 32, 33, 35/1, 35/2, 37/1, 37/2, 53, 56/1, 56/2 कुल किता 10 कुल रकबा 2.8325 हैक्टेयर, खाता संख्या 27 में वर्णित ख0नं0 रकबा 1.1381 हैक्टेयर, खाता संख्या 28 में वर्णित ख0नं0 31 रकबा 0.9357 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू राजस्थान में स्थित है। जिसमें वादिया राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराती चली आ रही है। विवादग्रस्त आराजी को वादिया के द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2004 में वादिया के पति का नाम श्रीराम की जगह श्रीया हो गया इसलिए न्यायहित में मनफूली पत्नि श्रीया की जगह मनफूली पत्नि श्रीराम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। श्रीराम व श्रीया दोनों एक ही व्यक्ति है इन नामों कि अलावा इस उक्त नाम का ग्राम श्रीरामगंज में अन्य कोई व्यक्ति नही है। इसलिये वादिया के पति द्वारा राजस्व रिकार्ड में श्रीराम, श्रीकिशन व श्रीया दर्ज थे, जिनको वादिया के पति द्वारा उपखण्ड अधिकारी फागी के यहां एक वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश कर दिनांक 12.12.2015 को उक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज अलग—अलग नामों के स्थान पर सही नाम श्रीराम पुत्र केसरा दुरूस्त करवाने का निर्णय मान्य न्यायालय द्वारा पारित किया जा चुका है। जिसके आधार पर वादिया द्वारा अपने आधार कार्ड, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, अपने पति का नाम दुरूस्त करवा लिया इसलिये वादिया राजस्व रिकार्ड में अपने पति का नाम श्रीया की जगह श्रीमती मनफूली पत्नि श्रीराम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये वादिया उक्त आराजीयात की घोषणा करवाने एवं दुरूस्ती

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला—दूदू

लगातार.................2

उपखण्ड अधिकारी फागी
सत्यमेव जयते

इन्द्राज करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने उक्त आराजीयात को काफी पैसा खर्च कर समतल व उपजाऊ बना लिया है उक्त आराजीयात के वादिया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं शान्तिपूर्व काबिज काश्त चली आ रही है लेकिन वरवक्त विक्रय पत्र तस्दीक करवाते समय नही रहा इसी सहवन से वादिया के पति का नाम श्रीराम के स्थान पर श्रीया हो गया है उक्त गलत इन्द्राज से वादिया को राज्य सरकार से देयलाभो से वंचित होना पड़ रहा है एवं अनावश्यक पेरशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि वादिया के पति का वास्तविक नाम श्रीराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये था। इसलिए वादिया अपने पति का नाम श्रीया के स्थान पर श्रीराम दुरूस्त करवाने की कानूनन अधिकारी है। अभी हाल ही में दिनांक 30.06.2024 को वादिया ने अपनी खातेदारी भूमि का किसान कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि आपके पति का नाम रिकार्ड में श्रीया दर्ज है जबकि सही नाम श्रीराम है जिसको सक्षम न्यायालय के आदेश करवाने बाबत कहा गया इसलिए मान्य न्यायालय में वादीगण द्वारा उक्त वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है। वादिया को वाद कारणा दिनांक 30.06.2024 को पटवारी हल्का द्वारा सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने व बैंक द्वारा लोन नहीं देने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। वादिया का वाद अंदर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी सं. 1 को लैण्ड होल्डर होने से एवं दावा दुरूस्ती इन्द्राज को होने से पक्षकार कायम किया गया है। पक्षकारान की विवादित आराजीयात मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने से श्रीमान न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 बाद तामिल उपस्थित नही आये। प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

साक्ष्य वादी हेतु वादिया ने स्वयं का शपथ पत्र तथा नन्दा पुत्र केसरा जाति कुम्हार निवासी श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान का पेश किया। गवाहान ने बताया कि वादीया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 25.06.2004 को क्रय की थी लेकिन वादीया की निरक्षरता व कानूनी जानकारी नहीं होने से उसके विक्रयपत्र में अपने पति के राजकीय दस्तावेजों में दर्ज नाम श्रीराम की जगह उसके बोलते नाम श्रीया अंकित करा दिया जबकि श्रीराम व श्रीया दोनों एक ही व्यक्ति है इन नामों के अलावा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम श्रीरामगंज में नही है।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वादीया का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने

लगातार.............3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला—दूदू

पर पाया कि हस्तगत प्रकरण वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम श्रीरामगंज के खाता संख्या 26, 27 एवं 28 में वादीया रिकार्डेड खातेदार है। वादीया द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, श्रम कार्ड आदि दस्तावेजों में मनफूली पत्नि श्रीराम अंकित हैं। उपर्युक्त गवाहान ने भी अपने तथ्यो मे अंकित किया है कि वादीया का सही नाम मनफूली पत्नि श्रीराम है। पूर्व मे भी इस न्यायालय द्वारा श्रीया को श्रीराम मानकर वाद मे निर्णय पारित किया है। उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि श्रीया का सही नाम श्रीराम है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे हम वादीया का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीया का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आराजी खतौनी संख्या 26 के आराजी खसरा नम्बर 28/1, 32, 33, 35/1, 35/2 37/1, 37/2, 53, 56/1, 56/2 कुल किता 10 कुल रकबा 2.8325 हैक्टेयर, खाता संख्या 27 में वर्णित ख0नं0 रकबा 1.1381 हैक्टेयर, खाता संख्या 28 में वर्णित ख0नं0 31 रकबा 0.9357 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू राजस्थान में स्थित आराजीयात में वादीया का नाम मनफूली पत्नि श्रीया से मनफूली पत्नि श्रीराम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/9/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान

1 श्रीमती मनफूली देवी धर्मपत्नि श्री श्रीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू राजस्थान।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान।

प्रतिवादी

::– वाद इन्द्राज दुरूस्ती ::–
मु0न0:– 46/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री राजेन्द्र जैन हाजिर रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आराजी संख्या 26 के आराजी खसरा नम्बर 28/1, 32, 33, 35/1, 35/2 37/1, 37/2, 53, 56/1, 56/2 कुल किता 10 कुल रकबा 2.8325 हैक्टेयर, खाता संख्या 27 में वर्णित ख0नं0 रकबा 1.1381 हैक्टेयर, खाता संख्या 28 में वर्णित ख0नं0 31 रकबा 0.9357 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू राजस्थान में स्थित आराजीयात में वादीया का नाम मनफूली पत्नि श्रीया से मनफूली पत्नि श्रीराम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।

निज..........X..........मुबलिग..........X..........बाबत..........X..........
..X..खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....X..........फीसदी..X..........
..X..सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ......X......का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.09.2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू सत्यमेव जयते

दस्तखत..........
मुहर

उपखण्ड अधिकारी
ओहदा
फागी,जिला–दूदू

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला दूदू